

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
राज्यपालक, डॉ. कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-2/पं.ग्रा.वि.वि./22/2011.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध रायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/ निकास/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम पंचायत	जन्म / मृत्यु का पंजीयन	07 कार्य दिवस	संबंधित ग्राम पंचायत सचिव (उप रजिस्ट्रार)	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
2	ग्राम पंचायत	विवाह का पंजीयन	07 कार्य दिवस	संबंधित ग्राम पंचायत सचिव	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
3	ग्राम पंचायत	जन्म प्रमाण पत्र जारी करना	07 कार्य दिवस	संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
4	ग्राम पंचायत	मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना	07 कार्य दिवस	संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
5	ग्राम पंचायत	भवन निर्माण/मरम्मत अनुज्ञा	30 दिन	संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
6	ग्राम पंचायत	नल कनेक्शन	30 दिन	संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
7	ग्राम पंचायत	स्ट्रीट लाईट (बल्ब एवं ट्यूब लाईट बदलना)	07 कार्य दिवस	संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
8	ग्राम पंचायत	आवश्यक सफाई व्यवस्था	05 कार्य दिवस	संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
9	जनपद पंचायत	गरीबी रेंखा प्रमाण पत्र जारी करना	07 कार्य दिवस	संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डॉ. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.